25000

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 363057

04 JUN 2007

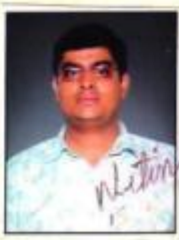

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार	:-	कृषि भूमि
वार्ड/परगना	:-	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला/ग्राम	:-	शेरनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर)	:-	खसरा नम्बर 15/2मि0
मापन की इकाई	:-	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:-	1.548 हैक्टेयर
सडक की स्थिति	:-	नही है

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363058

03 कोषागार
04 JUN 2007
मुजफ्फरनगर

-2-

सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि
पेडों का मूल्यांकन:-	10,000/-रूपये
बोरिंग/कुंआ/अन्य:-	नही है

सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:- नही है

प्रतिफल की धनराशि:-	19,45,000/-रूपये
मालियत:-	19,45,000/-रूपये
निर्धारित दर:-	12,50,000/-रूपये प्रति है0
स्टाम्प शुल्क:-	1,95,000/-रूपये
किस्म जमीन:-	अव्वल आबी

Nitin Bansal

180000

6/6/02

1,945,000.00/ **1,945,000.00**	5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती संदीप अग्रवाल स्वयं प्रतिनिधि सुशीला अग्रवाल
पुत्र / पत्नी श्री स्व0 सुभाष चन्द अग्रवाल
पेशा वकालत
निवासी स्थायी 912/6 सि0 लां0 द0 मु0 नगर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/6/2007 समय 3:46PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
11/6/2007

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती संदीप अग्रवाल स्वयं
प्रतिनिधि श्री सुशीला अग्रवाल
पुत्र/पत्नी श्री स्व0 सुभाष चन्द अग्रवाल
पेशा वकालत

श्री/श्रीमती श्री राधाकृष्ण एसोसिएटस द्वारा पार्टनर
नितिन बंसल
पुत्र/पत्नी श्री राजेश्वर दयाल
पेशा व्यापार
निवासी 818 [illegible] मु0 नगर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री रामकिशन मलिक
पुत्र श्री भगवान सिह
पेशा वकालत
निवासी 464/1 सि0 लां0 द0 मु0 नगर
व श्री नरेन्द्र सिह
पुत्र श्री हरिसिह
पेशा कृषि
निवासी सहावली मु0 नगर
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
11/6/2007

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363059

05 JUN 2007

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।
विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (2)

<u>विक्रेता का विवरण</u>

1- संदीप अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द अग्रवाल निवासी 912/6 सिविल लाईन दक्षिणी, मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- वकालत

2- श्रीमति सुशीला अग्रवाल पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द अग्रवाल निवासी 912/6 सिविल लाईन दक्षिणी, मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- गृहिणी

Nitin Bansal

180000 —

6/6/07

विक्रेता

Registration No.: 6183 Year : 2007 Book No. : 1

0101 संदीप अग्रवाल स्वयं प्रतिनिधि सुशीला अग्रवाल

स्व0 सुभाष चन्द अग्रवाल

912/6 सि0 ला0 द0 मु0 नगर

वकालत

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 363060

08 कोषागार 05 JUN 2007 मुजफ्फरनगर

-4-

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

<u>क्रेता का विवरण</u>

1:- श्री राधाकृष्ण एसोसिएट्स 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर नितिन बंसल पुत्र श्री राजेश्वर दयाल निवासी 818, योगेन्द्रपुरी मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- व्यापार PAN-ABIFS 4403 L

हम कि **संदीप अग्रवाल** पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द अग्रवाल [redacted] बजात खुद व बहेसियत मुख्तार आम श्रीमति सुशीला अग्रवाल पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल निवासी 912/6 सिविल लाईन दक्षिणी, मुजफ्फरनगर जिसकी रजिस्टी कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर में बही न0 4 की जिल्द 85 पृष्ठ 63-70 क्रमांक 16 दिनांक 23-01-2006ई0 पर निबद्ध है

180000 -

6/6/07

क्रेता

Registration No. : 6183 Year : 2007 Book No. : 1

0201 श्री राधाकृष्ण एसोसिएटस द्वारा पार्टनर नितिन बंसल
राजेश्वर दयाल
818 योगेन्द्रपुरी मु0 नगर
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363061

05 JUN 2007

निवासीगण 912/6सिविल लाईन दक्षिणी, मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) व **श्री राधाकृष्ण एसोसिएट्स 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर** द्वारा पार्टनर नितिन बंसल पुत्र श्री राजेश्वर दयाल निवासी 818, योगेन्द्रपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। विक्रीत भूमि के

Nitin Bansal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363062

05 JUN 2007

-6-

सम्बन्ध में एक विवाद वाद संख्या 142/2001 सुभाष चन्द बनाम रामकिशन मलिक न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन द्वितीय मुजफ्फरनगर में विचारधीन है। जिसमें न्यायालय से बाहर दोनो पक्षो का फैसला हो गया है और विक्रीत सम्पत्ति रामकिशन की सहमति से विक्रय की जा रही है और श्री रामकिशन ने बतौर सहमति के बैनामा पर हस्ताक्षर किये है। सिविल न्यायालय में अवकाश के बाद फैसला दाखिल कर दिया जायेगा। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित मन, बुद्वि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रक्खे हक

Nitin Bansal

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363063

05 JUN 2007

व हकूक किसी भी किस्म के अंकन **उन्नीस लाख पैंतालीस हजार रूपये (19,45,000/-रूपये)** आधे जिसके अंकन नौ लाख बाहात्तर हजार पांच सौ रूपये (9,72,500/-रूपये) होते है बदस्त **श्री राधाकृष्ण एसोसिएट्स 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा** पार्टनर नितिन बंसल पुत्र श्री राजेश्वर दयाल निवासी 818, योगेन्द्रपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा दो किते चैक नम्बरी *310202* व *310203* दिनांकित 08-06-2007ई0 विजया बैक मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नही रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय

Nitin Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

674440

पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वंय या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी।

---------- ---------- Nitin Bansal ----------

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 674441

04 JUN 2007

विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि मे दस पेड यूकेलिप्टिस के दस वर्ष से अधिक उम्र के है जिनकी मालियत 10,000/-रूपये होती है विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 61,240/-रूपये होती है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 19,35,000/- रूपये होती है विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत मय पेड के अंकन **19,45,000/-रूपये** में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे

Nitin Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

674442

04 JUN 2007

मुजफ्फरनगर

अधिक नही है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नही हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अत: यह **विक्रय पत्र** लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम **शेरनगर** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि **खसरा नम्बर 15/2मि0 रकबई 1.548 है0**, लगान सालाना

Nitin Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

674603

-11-

76-55 रुपये किस्म जमीन जंगल अव्वल आबी, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

नोट:- पृष्ठ 4 की सतर 7 सम्पूर्ण कटी है।

साक्षी

साक्षी

तहरीर ता0:-08-06-2007 ई0

ड्राफ्ट कर्ता:-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

आज दिनांक **11/06/2007** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **3572**

पृष्ठ सं. **175** से **200** पर कमांक **6183**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अशोक कटारिया

11/6/2007